

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक-26/11/18

विषय:-

ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा नगर निगम, पूर्णियाँ अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-07/2017-18 के ग्रुप सं०-30 के कार्य वार्ड सं०-05 में स्व० विश्वनाथ वर्मण के घर से स्व० सुधाकर झा के घर तक भाया हेनरी पब्लिक स्कूल तक, मुकेश मिश्रा के घर से ललित सिन्हा के जमीन तक भाया उपेन्द्र पंडित, शिवांशु तिवारी के घर तक, सरस्वतीनगर बजरंगबली स्थान से सीताकान्त मिश्र के घर तक, सरस्वती नगर में मधुरेन्द्र मिश्र के घर से कैलाश झा के घर तक भाया निरोज सिंह, बजरंगबजी स्थान मोल झा के घर तक, शास्त्रीनगर में सी०डी० मेहता के घर से दक्षिण सत्यदेव सिंह के घर से आगे तक, पूर्व विधायक शंकर सिंह के घर से सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा के घर तक पक्कीकरण कार्य के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:-

नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ का पत्रांक-436 दिनांक-23.05.2018, पत्रांक-683 दिनांक-14.08.2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-753 दिनांक-18.06.2018 एवं पत्रांक-754 दिनांक-19.06.2018 तथा पत्रांक-1383 दिनांक-01.11.2018

महाशय,


उपर्युक्त विषयक ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा नगर निगम, पूर्णियाँ अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-07/2017-18 के ग्रुप सं०-30 के कार्य वार्ड सं०-05 में स्व० विश्वनाथ वर्मण के घर से स्व० सुधाकर झा के घर तक भाया हेनरी पब्लिक स्कूल तक, मुकेश मिश्रा के घर से ललित सिन्हा के जमीन तक भाया उपेन्द्र पंडित, शिवांशु तिवारी के घर तक, सरस्वतीनगर बजरंगबली स्थान से सीताकान्त मिश्र के घर तक, सरस्वती नगर में मधुरेन्द्र मिश्र के घर से कैलाश झा के घर तक भाया निरोज सिंह, बजरंगबजी स्थान मोल झा के घर तक, शास्त्रीनगर में सी०डी० मेहता के घर से दक्षिण सत्यदेव सिंह के घर से आगे तक, पूर्व विधायक शंकर सिंह के घर से सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा के घर तक पक्कीकरण कार्य हेतु मान्य 03 निविदाकारों का उद्धृत दर एकसमान (परिमाण विपत्र की राशि से 10% कम) रहने के फलस्वरूप दिनांक-16.11.2018 को निविदाकारों/उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में लॉट्री किया गया एवं लॉट्री में श्री सुमन कुमार चौधरी का नाम सफल संवेदक के रूप में चयनित हुआ।

तदनुसार लॉट्री के आधार पर चयनित श्री सुमन कुमार चौधरी को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर संशोधित परिमाण विपत्र की राशि 43,46,641/- (तीतालीस लाख छियालीस हजार छः सौ एकतालीस) रूपये मात्र से 10% कम दर पर अर्थात् राशि 39,11,977/- (उन्नचालीस लाख ग्यारह हजार नौ सौ सतहत्तर) रूपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है। कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे। नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, डुडा, पूर्णियाँ सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे। निम्न निदेशों का पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 06 (छः) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।
9. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
10. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
11. पथ के फ्लैक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगे ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का ठोकर नहीं हो।
12. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
13. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा cwjc सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
14. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रत्तर कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है।
कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु0:- तुलनात्मक विवरणी एवं सभी
निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन


अधीक्षण अभियंता,

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।